राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 11(2)मं.मं./2022 जयपुर, दिनांक 19-07-2022

आदेश

राज्य सरकार के अधीन गठित विभिन्न आयोग/निगम/बोर्ड/समितियों में पदस्थापित अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण जो राज्य सरकार से कोई वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को निम्नानुसार वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र.सं.	मद	राशि (रुपयों में)
1.	वेतन	30000/–
2.	वाहन भत्ता/ यात्रा भत्ता	30000/–
3.	आवास भत्ता	10000/–
4.	टेलीफोन/ इंटरनेट/मोबाईल/ब्रॉडबैण्ड	5000/–
	कुल योग	**75000/–**

उक्त वेतन/भत्तों का भुगतान इनके कार्यग्रहण तिथि से देय होगा तथा इसका समस्त व्यय संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा वहन किया जावेगा। साथ ही प्रशासनिक विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि किसी महानुभाव को पृथक से वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएें प्राप्त नही हो रही हैं। यदि किसी महानुभाव को राज्य सरकार द्वारा वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएें प्रदान की जा रही है तो उनके द्वारा दोनों में से एक सुविधा का लाभ प्राप्त किये जाने के विकल्प का चयन किया जा सकता है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102204206 दिनांक 19.07.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
5. विभिन्न बोर्ड/आयोग/निगम के मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण।
6. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड।
10. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
11. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

(श्रीराम मोदी)
शासन उप सचिव